

एक नजर में

पटेल जयंती पर पुलिस ने निकाली सायकिल रैली
गुना। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल के निर्देशन में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुना पुलिस द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर 25 से अक्टूबर 26 तक जिले के समस्त थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुना पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक हितिका वासल के निर्देशन में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। रैली का शुभारंभ पुलिस लाइन गुना से किया गया जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, छात्र-छात्राएं एवं आमजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। रैली के माध्यम से यातायात नियमों के पालन, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के समुचित प्रबंध किए गए थे।

मेगा लीगल आउटरीच शिविर में उमड़ा जनसैलाब

नवभारत न्यूज
गुना। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केंट गुना में शनिवार को न्याय और सेवा का महाकुंड मेगा लीगल आउटरीच शिविर के रूप में आयोजित हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमिताभ मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ अमिताभ मिश्र द्वारा मरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। संबोधन के दौरान अमिताभ



मिश्र ने न्याय आपके द्वार की संकल्पना पर जोर देते हुए कहा कि समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की सुविधाओं और अधिकारों की पहुंच हो। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार जैन ने विधिक सहायता, विधिक

कलेक्टर और एसपी ने पैदल मार्च कर जाची सुरक्षा, 400 जवानों और 500 वॉलंटियर्स का रहेगा कड़ा पहरा

हनुमान जयंती पर टेकरी सरकार पर लगेगा भव्य मेला



नवभारत न्यूज
गुना 28 मार्च का। गुना की सुप्रसिद्ध पहचान और आस्था के प्रतीक हनुमान टेकरी पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशाल मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। शनिवार को कलेक्टर किशोर कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने टेकरी रोड बाईपास से लेकर मुख्य मंदिर और मेला ग्राउंड तक पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिकरवार, अंकुर श्रीवास्तव और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मुख्य रूप

व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

निरिक्षण के दौरान कानून-व्यवस्था, कंट्रोल रूम की स्थापना, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंदिर ट्रस्ट समिति ने बताया कि एक दिवसीय इस मेले में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसके मद्देनजर व्यापक स्तर पर तैयारियों की जा रही हैं।

मेले को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। महिला सुरक्षा के लिए तैनात होगी विशेष मोबाइल पार्टियां सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी देते हुए एसपी हितिका वासल ने कहा कि मेले की भव्यता और लाखों श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्र में 300 से 400 महिला एवं पुरुष पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए इस बार अतिरिक्त बल और मोबाइल पार्टियां निरंतर गश्त पर रहेंगी। एसपी ने बताया कि पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर कमियों को दूर कर सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है।

सतत निगरानी की जाएगी। यातायात और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक यातायात मार्ग चिन्हित किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को बड़े बालाजी से टेकरी तक सड़क मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और खुली बार्किंग पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं आपात सेवाएं रहेंगी मुफ्त

मेले के दौरान चिकित्सा टीम, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि हनुमान जयंती आस्था और विश्वास से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। इसे सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। आज निरीक्षण के दौरान एडीएम अखिलेश जैन, एसडीएम शिवानी पाण्डे, डिट्टी कलेक्टर एवं प्र.सीएमओ मंजुषा खत्री, एसपी मान सिंह ठाकुर, तहसीलदार गुना जीएस बैरवा सहित पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे।



भूकंप आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दिया गया जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज
गुना। जिले में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शनिवार को कलेक्टर गुना के जनसुनवाई कक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें भूकंप आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर एवं अतिवृष्टि बाढ़ आपदा में इंफ्रावाइज तरीके से राफ्ट बनाना जैसे बोटल राफ्ट पीपा राफ्ट एवं घायल व्यक्ति को ले जाने की विधियां, तथा सीपीआर की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में संयुक्त कलेक्टर डॉ. संजीव खेमरिया, डिट्टी कलेक्टर महिमा चौधरी, होमगार्ड्स कमांडेंट आरके पथरोल, प्लाटून कमांडर होमगार्ड मनोज भदौरिया विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा भूकंप के कारण, उसके प्रभाव तथा उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि भूकंप के दौरान किस प्रकार सतर्कता बरतनी चाहिए तथा सुरक्षित स्थानों का चयन कैसे किया जाए। साथ ही आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) और राहत कार्यों के समन्वय पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय लेने और राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि भूकंप आने पर घबराएं नहीं, तुरंत सुरक्षित स्थान जैसे मजबूत टेबल या दरवाजे के नीचे शरण लें, बिजली के उपकरणों से दूर रहें और खुले स्थान में चले जाएं। ऊंची इमारतों, पेड़ों एवं बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। घरों एवं भवनों को भूकंपरोधी बनाने, आपातकालीन स्थिति तैयार रखने तथा परिवार के सदस्यों को आपदा के समय की योजना से अवगत कराने पर जोर दिया गया।

राम नवमी पर अद्भुत नजारा, 5100 दीपों से रोशन हुआ पंचमुखी मंदिर

नवभारत न्यूज
गुना। भगवान श्री राम जी का प्रकटोत्सव रामनवमी का पर्व जिले भर में अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाया गया। पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर केंट पर मंदिर के महंत श्री सियाराम दास महाराज के सानिध्य में संध्याकाल को 5100 झिलमिल दीपों की रोशनी से मंदिर हुआ सराबोर। महाराज श्री ने बताया कि आज संपूर्ण देश में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव से भक्तों ने मनाया। पंचमुखी मंदिर पर दोपहर ठीक 12 बजे मंदिरों में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का उल्लास चरम पर रहा। शंख, घंटा-घड़ियाल, ढोल-नागाडों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिरों



के कपाट खुले और भगवान श्रीराम के जन्म का उत्सव मनाया गया। नयनाभिराम श्रृंगार में सजे भगवान के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। 'भूए प्रकट कृपाला, दीन दयाला' के जयघोष के साथ पूजा वातावरण भक्तिमय हो गया। दिन भर भंडारा चला जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और सायंकाल 7 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों द्वारा 5100 दीपक लगाकर रामनवमी पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम में हरि पुजारी, समाजसेवी विकास जैन नखराली सहित बड़ी संख्या में मातृ शक्ति के साथ भक्तों ने सहभागिता कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया।

सूर्य मंदिर महावीरपुरा से टेकरी तक झूमते-गाते निकले किन्नर

नवभारत न्यूज
गुना। शहर की सुख-समृद्धि और जिलेवासियों के कल्याण की कामना को लेकर किन्नर समाज द्वारा शनिवार को एक भव्य चल समारोह निकाला गया। सूर्य मंदिर महावीर से शुरू हुई यह धार्मिक यात्रा जयस्तंभ चौराहा स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंची, जहां से गाजे-बाजे के साथ किन्नर समाज टेकरी सरकार के दरबार के लिए रवाना हुआ। भगवा वक्र धारण किए और हाथों में धर्म ध्वजा लिए किन्नरजन बागी पर सवार होकर नृत्य करते हुए निकले, जिन्हें देखने के लिए सड़कों पर लोगों का हजूम उमड़



पड़ा। पायल किन्नर ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहर में खुशहाली और लोगों के भंडार भरे रहने की मंगलकामना करना है। इसी भावना के साथ लक्ष्मीनारायण मंदिर में 21 किलो और सिद्ध पीठ हनुमान टेकरी पर 31 किलो का पीतल का विशाल घंटा भेंट किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जब यह जुलूस निकला, तो सर्वधर्म समभाव और अटूट श्रद्धा का अनाडु संगम देखने को मिला। टेकरी धाम पहुंचकर किन्नर समाज ने विशेष पूजा-अर्चना की और जिले की उन्नति के लिए प्रार्थना की।

बोर्ड के परिणाम में लक्ष्य पब्लिक स्कूल में आदिवासी छात्रों ने मारी बाजी


नवभारत न्यूज
गुना। हाल ही में जारी हुए बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025-26 में कुम्हार की लक्ष्य पब्लिक स्कूल के कई छात्रों का रिजल्ट हाई स्कोर रहा। विद्यालय के कक्षा 8 वीं के छात्र दीपक बारेला 93.50% राकेश नायक 92.66% अर्पिता धाकड़ 90% अर्पिता धाकड़ 89.83% रिजल्ट रहा वहीं कक्षा 5 में नंदनी बारेला 88.50% पवन नायक 86.76% अशोक नायक 85% और नैना पटेलिया 84.50% रिजल्ट रहा छात्रों के उत्तीर्ण परिणाम आने पर अभिभावकों ने विद्यालय संचालक नरेश मेहता को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। संचालक नरेश के अनुसार रिजल्ट में इस छोटे से गांव में संचालित विद्यालय का रिजल्ट छात्रों की मेहनत से काफी अच्छा रहा आगे भी स्टाफ के साथ मिलकर रिजल्ट और भी अधिक स्कोर में रहे इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है जिससे आदिवासी बाल्युत्सव इलाके में होने के बाद भी यहां के छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके।

खुदकुशी पर बिजली उपभोक्ता संघ गुस्सा

नवभारत न्यूज
गुना। शहर के नानाखंडी क्षेत्र में 1.26 लाख रुपये के बिजली बिल के कारण एक महिला द्वारा आत्महत्या और मासूम बच्ची को मारने के प्रयास की घटना ने अब राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र भदौरिया, लोकेश शर्मा और मनीष श्रीवास्तव ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस घटना को प्रशासनिक हत्या करार दिया है। एसोसिएशन ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार और बिजली कंपनी से तुरंत समुचित मुआवजे की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय सीमा में समाधान न करना और बकाया राशि को लाखों तक पहुंचने देना बिजली कंपनी की सेवा में भारी कमी है, जिसका मानसिक दबाव उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

नवीन विद्या मंदिर स्कूल का दबदबा, 5वीं-8वीं का परीक्षा परिणाम रहा शत-प्रतिशत

नवभारत न्यूज
गुना। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान नवीन विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल ने इस वर्ष पुनः अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणामों में विद्यालय के कक्षा 5वीं एवं 8वीं के छात्र-छात्राओं ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 100% सफलता दर्ज की है। होनहार सितारों ने बढ़ाई स्कूल की शान बढ़ाई है। परीक्षा परिणामों में विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर टॉप सूची में जगह बनाई है। दोनों कक्षाओं के शीर्ष 5 विद्यार्थी इस प्रकार हैं: कक्षा 5वीं के टॉपर्स: प्रभात कुशवाहा 87%, वैष्णव धाकड़ 85%, वैदिका कुशवाहा 85%, नित्या ओझा 85%, काजल प्रजापति 83%, कक्षा 8वीं के टॉपर्स: सानिया जाटव 87%, पायल लोधा 83%, पूर्ति धाकड़ 83%, हिमांशु शाक्य 81%, शुभम चंदेल 81% आदि शामिल हैं। कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रितफल विद्यालय को इस गौरवशाली उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए स्कूल संचालक श्री नवीन सक्सेना ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के अटूट समर्पण और



मृत्यु की कला सिखाती है भागवत कथा पं. कौशल किशोर शास्त्री

नवभारत न्यूज
गुना। मानस भवन गुना में सात दिवसीय चल रही श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर वृंदावन धाम से आए भागवत भूषण पंडित कौशल किशोर शास्त्री ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि हमें क्या करना चाहिए यह रामायण सिखाती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है और हमें कैसे मरना चाहिए यह भागवत कथा सिखाती है। मृत्यु की कला सिखाती है भागवत कथा। तदाशय की जानकारी अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने देते हुए बताया कि कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा सुबह 10 बजे गापाल मंदिर नयापुरा से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौराहा होते हुए मानस भवन पहुंची। ढोल दमाकों के साथ चल रही कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं बच्चे



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कुम्हारिया विस्था भूमि नं० 255/1/1/1/31/कक्षा 0.209 रो से मने 1620 वर्गफिट का विक्रय पत्र क्रमांक 3754 दिनांक 23/02/2011 से केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी नि० गुना के द्वारा विक्रय नितेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र रामदास शुक्ला से कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 232 आदेश दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। जिसे विक्रय जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी नि० गुना विक्रय पत्र क्रमांक 1347 दिनांक 14/07/2012 से केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र हेमचन्द्र सोमवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष 2025-26 में आवंटक के नाम अमल न होने के कारण उक्त भूमि का चालक अतिरिक्त में अमल करते हुए केला जयकिशन पुत्र बलचन्द्र सालवानी पुत्र विक्रय पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 24/07/2012 से केला तिगु भवानी पत्नी कमल भवानी के द्वारा कच को गयी थी। विक्रय नामांतरण पत्र क्रमांक 28 आदेश दिनांक 03/09/2012 एवं नामांतरण पत्र क्रमांक 27 आदेश दिनांक 03/09/2012 से केला दिनांक 14/03/2011 से स्विकृत हुआ था। अतिरिक्त पंचशाला खस्ता वर्ष